राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 18/06/2021 को संपन्न 378वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

———00———

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 377वीं बैठक दिनांक 17/06/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 377वीं बैठक दिनांक 17/06/2021 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री छत्रपाल सिंह), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1655)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63278/2021, दिनांक 14/05/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/05/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 331, कुल क्षेत्रफल–0.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,916.25 टन (766.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 331, कुल क्षेत्रफल–0.48 हेक्टेयर में से क्षेत्रफल–0.30 हेक्टेयर, क्षमता–766.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 01/06/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016	निरंक
2017	निरंक
2018	341
2019	262
2020	194

iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़ेना का दिनांक 01/09/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 21/क/ख.लि./2016 महासमुंद, दिनांक 13/10/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 180/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 16 खदानें, क्षेत्रफल 12.12 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहॉ तक शामिल किया जाए, जहॉ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 180/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। महानदी 130 मीटर की दूरी पर है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री छत्रपाल सिंह के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 09/03/2006 से 08/03/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 09/03/2016 से 08/03/2036 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/5840 महासमुन्द, दिनांक 30/12/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ेना 0.7 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मुढ़ेना 0.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है। महानदी 0.13 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 63,045 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 26,001 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 19,500 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,500 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,747
द्वितीय	1,774
तृतीय	1,811
चतुर्थ	1,871
पंचम	1,916

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्टम	2,014
सप्तम	2,156
अष्टम	2,197
नवम	2,317
दशम	2,422

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 625 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. महानदी 130 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी के एच.एफ.एल. (High flood level) के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उक्त उत्खनित क्षेत्र

को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः समिति द्वारा उपरोक्त का समावेश कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 180/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 16 खदानें, क्षेत्रफल 12.12 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) का रकबा 0.30 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) को मिलाकर कुल रकबा 12.42 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.

iv. Project proponent shall submit the NOC from concerned department for water usage.

v. Project proponent shall clarify about proposed production detail during 6th to 10th year which are more than applied capacity.

vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

vii. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NOC from Water Resource Department.

viii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

x. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

xi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery if there is any previous mining & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मयंक शेखर साहू), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1660)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63297/2021, दिनांक 14/05/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/05/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 333/1, 424/1, 424/2, 423 एवं 425/1, कुल क्षेत्रफल–0.43 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,717.5 टन (687 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मयंक शेखर साहू, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 333/1, 424/1, 424/2, 423 एवं 425/1, कुल क्षेत्रफल–0.43 हेक्टेयर, क्षमता–687 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 01/06/2021 के अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016	निरंक
2017	निरंक
2018	357
2019	419
2020	427

   iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़ेना का दिनांक 20/08/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1590/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 09/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 181/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 9.53 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 181/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री मयंक शेखर साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/01/2006 से 01/01/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 02/01/2016 से 01/01/2036 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 423, 424/1, 424/2 एवं 425/1 आवेदक के नाम पर है एवं खसरा क्रमांक 333/1 शासकीय भूमि है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ेना 0.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मुढ़ेना 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। महानदी 0.35 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,12,440 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 14,340 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 10,755 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,780 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,421
द्वितीय	1,425
तृतीय	1,699
चतुर्थ	1,706
पंचम	1,717

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्ठम	1,815
सप्तम	1,342
अष्टम	1,215
नवम	907
दशम	855

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. महानदी 350 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी के एच.एफ.एल. (High flood level) के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 700 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः समिति द्वारा उपरोक्त का समावेश कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 181/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 9.53 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) का रकबा 0.43 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) को मिलाकर कुल रकबा 9.96 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस

अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.

iv. Project proponent shall submit the NOC from concerned department for water usage.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

vi. Project proponent shall clarify about proposed production detail during 6th year which is more than applied capacity.

vii. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NOC from Water Resource Department.

viii. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.

ix. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

x. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

xi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery if there is any previous mining & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

xiv. Project proponent shall submit report of permanent fencing of mine.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती अमिता कोठारी), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1654)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63256/2021, दिनांक 14/05/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/05/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 329, कुल क्षेत्रफल–0.42 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,225.4 टन (1,290.16 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 329, कुल क्षेत्रफल–0.42 हेक्टेयर, क्षमता–1,290.16 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 01/06/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016	निरंक
2017	निरंक
2018	184
2019	275
2020	396

   iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़ेना का दिनांक 12/08/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1812/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 07/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 173/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 9.54 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 173/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती अमिता कोठारी के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/01/2005 से 17/01/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 18/01/2015 से 17/01/2035 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2242 महासमुंद, दिनांक 22/08/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ेना 0.3 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मुढ़ेना 0.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। महानदी 0.4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,03,750 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 32,056 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 24,042 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,752
द्वितीय	2,823
तृतीय	2,850
चतुर्थ	2,950
पंचम	3,225

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्टम	3,254
सप्तम	3,502
अष्टम	3,532
नवम	3,600
दशम	3,601

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 375 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. महानदी 400 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी के एच.एफ.एल. (High flood level) के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 680 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः समिति द्वारा उपरोक्त का समावेश कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 173/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 9.54 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) का रकबा 0.42 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) को मिलाकर कुल रकबा 9.96 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस

अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.

iv. Project proponent shall submit the NOC from concerned department for water usage.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

vi. Project proponent shall clarify about proposed production detail during 6th to 10th year which are more than applied capacity.

vii. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NOC from Water Resource Department.

viii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

x. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

xi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery if there is any previous mining & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती हेमलता कोठारी), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1657)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63294 / 2021, दिनांक 14 / 05 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/05/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12, कुल क्षेत्रफल–0.68 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,086.25 टन (1,234.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 09, 10, 11 एवं 12, कुल क्षेत्रफल–0.68 हेक्टेयर, क्षमता–1,234.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 01/06/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	904
2018	865
2019	734
2020	497

   iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़ेना का दिनांक 16/12/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1675/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 23/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 174/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, क्षेत्रफल 13.06 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 174/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री शांतिचंद कोठारी के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 15/03/2018 को श्रीमती हेमलता कोठारी के नाम पर किया गया है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/03/2002 से 04/03/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 05/03/2012 से 04/03/2032 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 10, 11 एवं 12 आवेदक के नाम पर है एवं खसरा क्रमांक 9/1 शासकीय भूमि है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ेना 0.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मुढ़ेना 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। महानदी 0.25 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,56,342 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 61,208 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 45,906 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के

लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,370 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,224
द्वितीय	2,415
तृतीय	2,681
चतुर्थ	2,816
पंचम	3,086

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्टम	3,319
सप्तम	3,614
अष्टम	3,821
नवम	4,185
दशम	4,207

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 592 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. महानदी 250 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी के एच.एफ.एल. (High flood level) के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 600 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः समिति द्वारा उपरोक्त का समावेश कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The

whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 174/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, क्षेत्रफल 13.06 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) का रकबा 0.68 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) को मिलाकर कुल रकबा 13.74 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.

iv. Project proponent shall submit the NOC from concerned department for water usage.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

vi. Project proponent shall clarify about proposed production detail during 6th to 10th year which are more than applied capacity.

vii. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NOC from Water Resource Department.

viii. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.

ix. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

x. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

xi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery if there is any previous mining & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती ज्योति मंजरी सिंह), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1658)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63295/2021, दिनांक 14/05/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/05/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 329, कुल क्षेत्रफल–1.6 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,616.25 टन (646.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विक्रम रत्न देव सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 329, कुल क्षेत्रफल–2.2 हेक्टेयर में से क्षेत्रफल–1.6 हेक्टेयर, क्षमता–646.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 01/06/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	140
2018	181
2019	448
2020	250

   iv. निर्धारित शर्तानुसार 400 नग वृक्षारोपण किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़ेना का दिनांक 03/01/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1764/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 02/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 176/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 16 खदानें, क्षेत्रफल 10.53 हेक्टेयर है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया

गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 176/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती ज्योति मंजरी सिंह के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/12/2001 से 12/12/2011 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 13/12/2011 से 12/12/2031 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2255 महासमुंद, दिनांक 08/07/2013 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ेना 0.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मुढ़ेना 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.2 कि.मी. दूर है। महानदी 0.215 कि.मी. एवं महानदी एनीकट 0.78 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 4,00,977 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 2,22,908 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 1,67,181 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,790 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,462
द्वितीय	1,507
तृतीय	1,567
चतुर्थ	1,594
पंचम	1,616

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्टम	1,665
सप्तम	1,725
अष्टम	1,762
नवम	1,811
दशम	1,834

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 698 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. महानदी 215 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी के एच.एफ.एल. (High flood level) के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 2,100 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः समिति द्वारा उपरोक्त का समावेश कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 176/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 16 खदानें, क्षेत्रफल 10.53 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) का रकबा 1.6 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) को मिलाकर कुल रकबा 12.13 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.

iv. Project proponent shall submit the NOC from concerned department for water usage.

v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

vi. Project proponent shall clarify about proposed production detail during 6th to 10th year which are more than applied capacity.

vii. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NOC from Water Resource Department.

viii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

x. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

xi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery if there is any previous mining & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री रोशन अग्रवाल), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1659)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63313/2021, दिनांक 14/05/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/05/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 331 एवं 333/1, कुल क्षेत्रफल–0.4 हेक्टेयर में से उपलब्ध भूमि 0.26 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,250 टन (500 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 331 एवं 331/1 कुल क्षेत्रफल–0.4 हेक्टेयर, क्षमता–500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 21/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 22/03/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 01/06/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	140
2018	430
2019	364
2020	347

   iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़ेना का दिनांक 22/08/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन–6/2016 रायपुर, दिनांक 08/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 173/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 9.70 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य

सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 173/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। महानदी 150 मीटर की दूरी पर है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री रोशन अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/05/2009 से 21/05/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 22/05/2019 से 21/05/2039 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ेना 0.7 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मुढ़ेना 0.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है। महानदी 0.15 कि.मी. एवं महानदी एनीकट 0.56 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 39,000 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 16,899 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 15,209 टन है। माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के स्थान पर 3 मीटर ली गई है, जिसका क्षेत्रफल 736.67 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,250
द्वितीय	1,250
तृतीय	1,250
चतुर्थ	1,250
पंचम	1,250

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 183 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षों की गणना त्रुटिपूर्ण प्रतीत हो रही है। अतः पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।

13. महानदी 150 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी के एच.एफ.एल. (High flood level) के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 620 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज बाउण्ड्री 7.5 मीटर के स्थान पर 3 मीटर ली गई है। उपरोक्त क्षेत्र का पुनः आंकलन किया जाए। अतः समिति द्वारा उपरोक्त का समावेश कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

15. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के स्थान पर 3 मीटर ली गई है। जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार रिजर्व की गणना में संशोधन कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 173/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 9.7 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) का रकबा 0.4 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) को मिलाकर कुल रकबा 10.1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.

   iv. Project proponent shall submit the NOC from concerned department for water usage.

   v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

   vi. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NOC from Water Resource Department.

   vii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   viii. Project proponent shall submit the revised approved mining plan with reserve calculation incorporating 7.5 meter width boundary.

   ix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone,

calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

x. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

xi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery if there is any previous mining & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स कुरमाडीह क्वार्ट्ज डिपोजिट (प्रो.– श्री अभिषेक अग्रवाल), ग्राम–कुरमाडीह, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1626)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 206726/2021, दिनांक 28/03/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 03/04/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित क्वार्ट्ज (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुरमाडीह, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 67 एवं 68, कुल क्षेत्रफल–4.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुरमाडीह का दिनांक 10/06/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्कीम ऑफ माईनिंग फॉर फर्स्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 355/जिओ./क्वारी स्कीम /प्लान नं.43/2020 रायपुर, दिनांक 23/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/406/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 08/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/406/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 08/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री अभिषेक अग्रवाल के नाम पर है। एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ3–5/2011/12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/05/2020 को जारी की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 68 शासकीय भूमि है एवं खसरा क्रमांक 67 श्री मुनु के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/3047 महासमुंद, दिनांक 22/07/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम शहर बसना 20 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुरमाडीह 2 कि.मी. एवं अस्पताल बसना 20 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 11,15,287 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 7,65,293 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 4,59,176 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,980 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी

मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.4 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 27 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	16,667
द्वितीय	25,000
तृतीय	25,000
चर्तुथ	33,333
पंचम	41,667

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के एक भाग क्षेत्रफल 15,884 वर्गमीटर क्षेत्र में क्वार्टज की उपलब्धता नहीं होने के कारण, उक्त क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
47	2%	0.94	Following activities at Government Primary School, **Village – Kurmadih**	
			Rain Water Harvesting System	0.80
			Potable Drinking Water Facility	0.20

			Running Water Facility for Toilets	0.20
			Total	**1.20**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं बारनवापारा/गोमर्डा अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्रीराम आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II), ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1693)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 214028/ 2021, दिनांक 04/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 439/50, 439/84 एवं 439/85, कुल क्षेत्रफल – 0.93 हेक्टेयर (2.5 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस सीसीएम विथ हॉट चार्ज रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,000 टन प्रतिवर्ष करने के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना की विनियोग रुपये 10 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अंकित केडिया, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं गेल्वेनाईजिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील पाईप, ट्यूब, बीम राउण्ड क्षमता – 60,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 02/11/2018 को जारी की गई है।
   - पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - निकटतम आबादी ग्राम–उरला 0.6 कि.मी. एवं शहर रायपुर 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी 3.2 कि.मी.

की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1	Induction Furnace Area	1,350	14.51
2	Rolling Mill Area	2,100	22.58
3	Storage Area	1,429	15.36
5	Greenbelt Area	3,721	40.02
7	Parking Area	700	7.53
Total		**9,300**	**100**

4. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For Induction Furnace				
1.	Sponge Iron	46,000	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	13,000	Open Market	
3.	Alloys	900	Open Market	
For Rolling Mill through Hot charging (Rolled Products)				
1.	Billets	59,000	In-house billets	Conveyor
For Galvanizing Unit				
1.	MS Pipe	60,000	In House	-

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Existing Capacity	Capacity After Expansion
1.	Unit	Induction Furnace with CCM and Hot charging Rolling Mill - 3x10 TPH	Induction Furnace with CCM and Hot charging Rolling Mill - 3x10 TPH
2.	Production	Rolled products through Induction Furnace with CCM and Hot charging Rolling Mill - 30,000 TPA and Galvanizing of Steel Structure, Steel Pipe, Tube, Beam Round - 60,000 TPA	Rolled products through Induction Furnace with CCM and Hot charging Rolling Mill - 59,000 TPA and Galvanizing of Steel Structure, Steel Pipe, Tube, Beam Round - 60,000 TPA
3.	Working Hours	12 Hours/Day	18 Hours/Day
4.	Heats	4 Heats/Day	6 Heats/Day

Note: Capacity expansion shall be achieved by increasing working hours from 12 Hrs per day to 18 Hrs per day, increasing number of drives, heat increased from 4 Heats/Day to 6 Heats/Day and some modification in CCM / hot charge Rolling Mill. Project proponent has not proposed any change in the existing Induction Furnace and Galvanizing Unit and Steel Pipe, Tube, Beam Round manufacturing unit and its related activites.

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस (3 गुणा 10 टन) तथा सीसीएम विथ हॉट चार्ज रोलिंग मिल स्थापित है। इसके अतिरिक्त स्टील स्ट्रक्चर, स्टील पाईप्स, ट्यूब्स एवं बीम राउण्ड क्षमता 60,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन इकाई स्थापित है। स्टील स्ट्रक्चर, स्टील पाईप्स, ट्यूब्स एवं बीम राउण्ड उत्पादन हेतु हॉट डीप गेल्वेनाईजिंग इकाई से गेल्वेनाईज किया जाता है। गेल्वेनाईजिंग इकाई में स्थापित जिंक फर्नेस में फर्नेस ऑयल 500 कि.ली. प्रतिघंटा उपयोग किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्कबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अतंर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में गैल्वेनाजिंग इकाई के जिंक फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्कबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत गैल्वेनाजिंग इकाई के जिंक फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के अतंर्गत इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 900 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से यूज्ड ऑयल 180 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। यूज्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर्स इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

   - **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 18 घनमीटर जल प्रतिदिन का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 28 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 14 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति बाबत् आवेदन किया गया है।

   - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – गेल्वेनाईजिंग प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। इण्डक्शन फर्नेस / रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान

में पिकलिंग /वाशिंग/स्कबर से उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 4 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 6,582 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 2 माह में पूर्ण किया जाए।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन की मात्रा 9,576 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 8,532 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। वर्तमान में एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 90,000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष, एन.ओ.$_{एक्स}$ उत्सर्जन की मात्रा 29,030 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष, वेस्ट एच. सी.एल. की मात्रा 1,200 किलोलीटर प्रतिवर्ष, एसिड फ्यूम्स उत्सर्जन की मात्रा 0.96 टन प्रतिवर्ष एवं ई.टी.पी. स्लज की मात्रा 20 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत एस.ओ.$_2$, एन.ओ.$_{एक्स}$, वेस्ट एच.सी.एल., एसिड फ्यूम्स एवं ई.टी.पी. स्लज की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी। इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 1,080 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस

प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (2) एस.ओ.$_2$, एन.ओ.$_{एक्स}$, वेस्ट एच.सी.एल., एसिड फ्यूम्स एवं ई.टी.पी. स्लज उत्सर्जन की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (4) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 8 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.27 हेक्टेयर (29.03 प्रतिशत) क्षेत्र में 288 नग पौधे रोपित किये गये है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.372 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में अतिरिक्त 930 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1000	1%	10.0	Following activities at 5 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	5.60
			Potable Drinking Water Facility with AMC	1.85
			Running Water Facility	1.75
			Plantation	1.25
			Total	**10.45**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–सोनडोंगरी, प्राथमिक शाला ग्राम–खमतराई, प्राथमिक शाला ग्राम–बेला तराई, नवीन प्राथमिक शाला ग्राम–दलदल सिवनी एवं माध्यमिक शाला ग्राम–कपसदा में किया जाएगा।

14. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:–

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

16. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

17. समिति का सर्वसम्मति से यह मत था कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार अर्थात इण्डक्शन फर्नेस से हॉट मेटल तैयार कर सी.सी.एम. के माध्यम से रोलिंग मिल में फीडिंग (आधुनिक प्रक्रिया हॉट चार्जिंग विधि से) कर रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 3,000 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने क्षेत्र में कुल 6,582 घनमीटर जल रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा संचय किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, एस.ओ.$_2$, एन.ओ. एक्स, वेस्ट एच.सी.एल., एसिड फ्यूम्स एवं ई.टी.पी. स्लज की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होना, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत्, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपार्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** क्षमता विस्तार के तहत् मेसर्स श्रीराम आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II), ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 439/50, 439/84 एवं 439/85, कुल क्षेत्रफल – 0.93 हेक्टेयर (2.5 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस सीसीएम विथ हॉट चार्ज रोलिंग मिल रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,000 टन प्रतिवर्ष करने हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स पी.डी. इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र (फेस–II), तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1694)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 213875/ 2021, दिनांक 04/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप (Forward Integration of Induction Furnace) के तहत् ग्राम–सिलतरा, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र (फेस–II), तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 89/1, 89/2, 90, 93/1, 91, 92, 93/2, 94, 103/3, 104, 105/1, 103/1, 103/2, 105/2, 105/5, 105/3, 105/4, 106/1, 102/1, 106/2, 106/4, 106/7, 106/8, 101/3, 101/4, 102/2, 106/11 एवं 91/1012, क्षेत्रफल – 10.485 हेक्टेयर में प्रस्तावित हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। भूमि का स्वामित्व कंपनी के नाम पर है। क्षमता विस्तार के तहत् परियोजना का विनियोग रुपये 8 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश कुमार अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर, रायपुर से स्पंज आयरन (1x100 टीपीडी डी.आर.आई. प्रथम किल्न) क्षमता 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, स्पंज आयरन (1x100 टीपीडी डी.आर.आई. द्वितीय किल्न) क्षमता 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, डब्लू.एच.आर.बी. आधारित केप्टीव पावर प्लांट 5 मेगावाट, स्टील इंगॉट्स/बिलेट्स (सात टन क्षमता के 2 नग इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–50,400 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 01/04/2021 को जारी की गई है, जो दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–सिलतरा 1.7 कि.मी. एवं शहर रायपुर 9.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढ़र 6.35 कि.मी. की दूरी पर

स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 24 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 3.2 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **रॉ–मटेरियल –**

S.No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For Rolling Mill				
1.	Billets	50,400	Own SMS area	Conveyor

4. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Units	Capacity [in tons/year]		
	Existing	Proposed	After Expansion
DRI Kilns [2x100 TPD]	60,000	-	60,000
Induction Furnace unit [2x7 Tons]	50,400	-	50,400
WHRB based power plant	5 MW	-	5 MW
Hot Charged Rolling Mill	-	48,000	48,000

5. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल से रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अतंर्गत हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं किया जाना प्रस्तावित है। इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। स्पंज आयरन किल्न एवं डब्लू.एच.आर.बी. कैप्टीव पावर प्लांट से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 40 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाता है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

6. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के अतंर्गत रोलिंग मिल से मिल स्केल 600 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग 6 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलॉयज मेन्युफैक्चरिंग इकाई, पैलेट प्लांट अथवा कास्टिंग इकाई को विकय किया जायेगा। एण्ड कटिंग को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 450 घनमीटर प्रतिदिन (स्पंज आयरन किल्न हेतु 60 घनमीटर प्रतिदिन, इण्डक्शन फर्नेस हेतु 40 घनमीटर प्रतिदिन, डब्लू.एच.आर.बी. आधारित केप्टीव पावर प्लांट हेतु 340 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 480 घनमीटर प्रतिदिन (स्पंज आयरन किल्न हेतु 60 घनमीटर प्रतिदिन, इण्डक्शन फर्नेस हेतु 40 घनमीटर प्रतिदिन, रोलिंग मिल हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन, डब्लू.एच.आर.बी. आधारित केप्टीव पावर प्लांट हेतु 340 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 28/06/2019 द्वारा 500 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति दी गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगा। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 34,802 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 20 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 2.5 मीटर, गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 2 माह में पूर्ण किया जाए।

8. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन की मात्रा 1,944

कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन की मात्रा 1,620 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत एस.ओ.$_2$ की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 7.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति स्वयं के पावर प्लांट एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 4.19 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 8,500 नग पौधे रोपित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् परिसर में 500 नग अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

11. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="7">800</td><td rowspan="7">1%</td><td rowspan="7">8.0</td><td colspan="2">Following activities at Government Higher Secondary School, Village – Mohndi</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting System</td><td>5.85</td></tr>
<tr><td>Potable drinking water facility</td><td>1.20</td></tr>
<tr><td>Running Water Facility</td><td>0.30</td></tr>
<tr><td>Plantation</td><td>1.03</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>8.38</td></tr>
</table>

12. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

13. उद्योग ग्राम–सिलतरा में स्थापित एवं संचालित है। स्थल के आसपास कई उद्योग स्थापित एवं संचालित है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:–

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

15. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

16. समिति का सर्वसम्मति से यह मत था कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार अर्थात इण्डक्शन फर्नेस से हॉट मेटल तैयार कर सी.सी.एम. के माध्यम से रोलिंग मिल में फीडिंग (आधुनिक प्रकिया हॉट चार्जिंग विधि से) कर रि–रोल्ड का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु इण्डक्शन फर्नेस से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 7,825 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने परिसर में कुल 34,802 घनमीटर वर्षाजल का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत्, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपार्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप (Forward integration of Induction Furnace) के तहत् मेसर्स पी.डी. इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र (फेस–II), तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 89/1, 89/2, 90, 93/1, 91, 92, 93/2, 94, 103/3, 104, 105/1, 103/1, 103/2, 105/2,

105/5, 105/3, 105/4, 106/1, 102/1, 106/2, 106/4, 106/7, 106/8, 101/3, 101/4, 102/2, 106/11 एवं 91/1012, क्षेत्रफल – 10.485 हेक्टेयर में प्रस्तावित हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–भूपदेवपुर, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1695)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/ 214235/2021, दिनांक 05/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–भूपदेवपुर, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 38/1, 38/6, 38/7, 28, 38/3 एवं 38/4, कुल क्षेत्रफल– 13.98 एकड़ (5.66 हेक्टेयर) स्थित वर्तमान कोल वॉशरी क्षमता–0.90 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Dry type of coal washery to wet type process) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना की विनियोग रुपये 5 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021

प्रस्तुतीकरण के लिए श्री कैलाश अग्रवाल, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण –**

   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/11/2016 द्वारा खसरा नं. 38/1, 38/6, 38/7, 28, 38/3 एवं 38/4,, स्थित कुल प्लाट एरिया– 13.98 एकड़ में कोल वॉशरी क्षमता – 0.90 मिलियन टन प्रतिवर्ष (ड्राई प्रोसेस) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

   - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   - वर्तमान में 4,320 नग वृक्षारोपण किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोल वॉशरी क्षमता 0.90 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु ड्राई प्रक्रिया को परिवर्तित कर वेट प्रक्रिया किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् आवेदन किया गया है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाएगा।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in hectare)	Area (%)
1	Washery Area	1.10	19.43
2	Finished Good Area	0.80	14.13
3	Raw Material Yard	0.90	15.90
4	Road Area	0.59	10.42
6	Greenbelt Area	2.27	40.11
	Total	**5.66**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल** – वर्तमान में रॉ–कोल 0.90 मिलियन टन प्रतिवर्ष (3,000 टन प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। जिससे वाश्ड कोल 2,850 टन प्रतिदिन तथा शेल एवं स्टोन 150 टन प्रतिदिन उत्पन्न होता है। प्रस्तावित आधुनीकीकरण उपरांत रॉ–कोल (थ्रु–पुट) में कोई वृद्धि नहीं होगी। वेट प्रक्रिया से वाश्ड कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। वर्तमान खदानों से वॉशरी तक 3,000 टन प्रतिदिन रॉ–कोल का परिवहन ढंके हुये ट्रकों किया जाता है। ड्राई वाशिंग उपरांत 2,850 टन प्रतिदिन वाश्ड कोल का परिवहन रेल / ढंके हुये ट्रकों से तथा शेल एवं स्टोन 150 टन प्रतिदिन का परिवहन ढंके हुये ट्रकों से किया जाता है। प्रस्तावित आधुनीकीकरण उपरांत 2,400 टन प्रतिदिन वाश्ड कोल का परिवहन रेल एवं 600 टन प्रतिदिन रिजेक्ट्स का परिवहन ढंके हुये ट्रकों से किया जाना प्रस्तावित है। भूपदेवपुर रेल्वे साईडिंग, परिसर से लगी हुई है। अतः अधिकांश परिवहन रेल के माध्यम से किया जाता है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में कोल क्रशर एवं स्क्रीनिंग इकाई में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित है। प्रस्तावित आधुनीकीकरण हेतु कोल क्रशर एवं स्क्रीनिंग इकाई में नया बेग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है। कोल क्रशर एवं स्क्रीनिंग इकाई से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। सभी कोल कन्व्हेयर बेल्ट्स को ढंका जाकर बेग फिल्टर से जोड़ा गया है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित आधुनिकीकरण उपरांत भी अपनाई जाएगी। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में शेल एवं स्टोन – 150 टन प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। प्रस्तावित आधुनीकीकरण उपरांत रिजेक्ट्स 600 टन प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक

द्वारा बताया गया कि कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को थर्मल पॉवर प्लांट में उपयोग किया जायेगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत संबंधी जानकारी** – परियोजना हेतु वर्तमान में ड्राई वेट टाईप कोलवाशरी के लिए 45 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित वेट टाईप कोल वाशरी के लिए 190 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होगी। 45 घनमीटर जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है। जो दिनांक 29/07/2021 तक वैध है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित आधुनीकीकरण उपरांत 190 घनमीटर जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी में आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वर्तमान में स्थापित कुछ प्लांट मशीनरी में परिवर्तन कर वेट प्रोसेस आधारित कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उपचार उपरांत दूषित जल को पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। प्रस्तावित अधुनीकीकरण उपरांत घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (क्षमता–15 किलोलीटर प्रतिदिन) लगाया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 41,384 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग वॉटर स्टोरेज टैंक (टैंक 1– 1,672 घनमीटर एवं टैंक 2– 61,200 घनमीटर) स्थापित है। परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज/संग्रहण किया जाता है।

9. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – वर्तमान में कुल क्षेत्रफल के 2.04 हेक्टेयर (36 प्रतिशत) क्षेत्र में 4,320 नग वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 2.27 हेक्टेयर (40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में अतिरिक्त 1,355 नग पौधे (गेप प्लांटेशन) रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त स्थापित ड्राई प्रकिया क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं वेट प्रकिया उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 19,224 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा 11,448 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। वर्तमान में ड्राई प्रकिया से औद्योगिक दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। प्रस्तावित वेट प्रकिया के तहत् आधुनिकीकरण उपरांत औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगा, जिसके उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना कर पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित आधुनिकीकरण उपरांत कुल 600 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा, जिसका अन्य पावर प्लांट में ईंधन के रूप में उपयोग करने हेतु किया जाएगा। इस प्रकार कोल वॉशरी की ड्राई प्रकिया से वेट प्रकिया आधुनिकीकरण उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे थर्मल पॉवर प्लांट इकाईयों में उपयोग किया जाएगा, (3) औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगा, जिसका उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में उपयोग लाया जाकर शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी तथा (4) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होगी।

11. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
500	1%	5.0	Following activities at 3 Nearby Government Schools	
			Rain Water	3.40

		Harvesting System	
		Potable Drinking Water Facility	0.70
		Running Water Facility	0.75
		Plantation	0.50
		Total	**5.40**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–सिंघनपुर, शासकीय शाला ग्राम–कोण्डतराई एवं शासकीय शाला ग्राम–लोधाझर में किया जाएगा।

12. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

13. पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/11/2016 द्वारा खसरा नं. 38/1, 38/6, 38/7, 28, 38/3 एवं 38/4,, स्थित कुल प्लाट एरिया– 13.98 एकड़ में कोल वॉशरी क्षमता – 0.90 मिलियन टन प्रतिवर्ष (ड्राई प्रोसेस) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था। तत्समय पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 13/01/2016 को आयोजित किया जाकर फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट सहित पत्र दिनांक 13/05/2016 (प्राप्ति दिनांक 20/05/2016) को आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

14. समिति का सर्वसम्मति से यह मत है कि कोल वॉशरी की ड्राई प्रकिया से वेट प्रकिया आधुनिकीकरण उपरांत उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 43,500 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने परिसर में कुल 41,384 घनमीटर एवं सी.ई.आर. के तहत् विभिन्न शासकीय स्कूलों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से कुल 2,583 वर्षाजल का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। इस प्रकार कुल 43,967 वर्षाजल का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे थर्मल पॉवर प्लांट इकाईयों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने तथा कोल वॉशरी की ड्राई प्रकिया से वेट प्रकिया आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर अतिरिक्त गंभीर प्रभाव (significant impact on environment) पड़ने की संभावना नहीं है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, स्थापित ड्राई प्रकिया आधारित कोल वॉशरी हेतु पूर्व में आयोजित लोक सुनवाई एवं ई.आई.ए. रिपोर्ट, कोल वॉशरी के थ्रु–पुट (पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त क्षमता) में कोई वृद्धि नहीं

होने तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत्, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपार्ट एवं लोक सुनवाई की पुनः आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/11/2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में कोल वॉशरी (Dry type of coal washery to wet type process) क्षमता–0.90 मिलियन टन प्रतिवर्ष (पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त क्षमता के तहत् कोल वॉशरी के थ्रु–पुट में कोई वृद्धि नहीं होने) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स मॉ मनी आयरन एण्ड स्टील कंपनी, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क पूंजीपथरा, ग्राम–तुमिडिह, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1696)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी /214263/2021, दिनांक 06/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ओ. पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क पूंजीपथरा, ग्राम–तुमिडिह, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 312(पी) एवं 315(पी), कुल क्षेत्रफल – 2.02 हेक्टेयर (5 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 28,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष एवं न्यू हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 59,000 टन प्रतिवर्ष करने के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना की विनियोग रुपये 10 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संतोष कुमार भलोटिया, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायगढ़ से एम. एस. इंगाट्स /एम.एस. बिलेट्स क्षमता – 28,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 27/02/2019 को जारी की गई है। जो दिनांक 29/02/2024 तक वैध है।
- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम रेल्वे स्टेशन भूपदेवपुर 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। रायगढ़ एयरपोर्ट 28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1	Induction Furnace	1,600	7.91
2	Storage Area	1,800	8.91
3	Rolling Mill Area	2,000	9.88
4	Greenbelt	8,095.74	40.01
5	Parking Area	800	3.95
6	For Future Expansion	5,938.54	29.34
Total		**20234.282**	**100**

4. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For Induction Furnace				
1.	Sponge Iron	46,000	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	13,000	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	Alloys	900	Open Market	By Road (through covered trucks)
For Rolling Mill through Hot charging (Rolled Products)				
1.	Billets	59,000	In-house billets	Conveyor

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Particular	Existing Capacity	Capacity After Expansion
1.	Unit	Induction Furnace (3x10 TPH)	Induction Furnace with Hot Charge Rolling Mill (3x10 TPH)
2.	Production	M.S. Ingots/Billets – 28,800 TPA	M.S. Billets – 59,900 TPA and Rolled products – 59,000 TPA
3.	Working Hours	12 Hours/Day	18 Hours/Day
4.	Heats	4 Heats/Day	6 Heats/Day

Note: No new additional induction furnace will be installed. Induction furnace capacity expansion shall be achieved by increasing working hours from 12 Hrs per day to 18 Hrs per day, increasing number of drives, heat increased from 4 Heats/Day to 6 Heats/Day and new hot charge Rolling Mill is proposed.

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अतंर्गत इण्डक्शन फर्नेस विथ हॉट चार्ज रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के अतंर्गत इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल इकाई से स्लेग – 900 टन प्रतिवर्ष, फिल्टर डस्ट 0.5 टन प्रतिवर्ष एवं यूज्ड ऑयल 180 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। फिल्टर डस्ट पुनः प्रकिया में उपयोग किया जाएगा। यूज्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर्स इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

   - **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 26 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 14 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 9 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। अतिरिक्त 1,800 घनमीटर जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति बाबत् आवेदन किया गया है।

   - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 4 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

   - **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 11,374 घनमीटर है। वर्तमान में उद्योग परिसर में 2 नग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट्स निर्मित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 6 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2. 5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 2 माह में पूर्ण किया जाए।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन की मात्रा 10,620 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 9,504 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 1,080.5 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति JSPL से किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 13 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.670 हेक्टेयर (33.16 प्रतिशत) क्षेत्र में 580 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0,809 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में अतिरिक्त 1,433 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100	1%	10.00	Following activities at 5 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	5.60
			Potable Drinking Water Facility	1.75
			Running Water Facility	1.50
			Plantation	1.25
			Total	**10.10**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–चैदोरिया, ग्राम–अमलीडीह, ग्राम–समारूमा, ग्राम–पकाडरहा एवं शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–डोकरबुड़ा में किया जाएगा।

13. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

14. उद्योग ग्राम–तुमिडिह में स्थापित एवं संचालित है। स्थल के आसपास कई उद्योग स्थापित एवं संचालित है।

15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:–

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

16. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

17. समिति का सर्वसम्मति से यह मत था कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार अर्थात इण्डक्शन फर्नेस से हॉट मेटल तैयार कर सी.सी.एम. के माध्यम से रोलिंग मिल

में फीडिंग (आधुनिक प्रकिया हॉट चार्जिंग विधि से) कर रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग में कुल 1,800 घनमीटर प्रतिवर्ष अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने क्षेत्र में कुल 11,374 घनमीटर जल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा संचय किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत्, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपार्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** क्षमता विस्तार के तहत् मेसर्स मॉ मनी आयरन एण्ड स्टील कंपनी, ओ. पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क पूंजीपथरा, ग्राम–तुमिडिह, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 312(पी) एवं 315(पी), कुल क्षेत्रफल – 2.02 हेक्टेयर (5 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 28,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष एवं न्यू हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 59,000 टन प्रतिवर्ष करने हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स व्हाईट जगवार एलएलपी, तरदा आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी माईन (प्रो.– श्री रोहित अग्रवाल), ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1697)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 214259/2021, दिनांक 06/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 1078/1, 1093/3, 1093/2, 1079/1, 1079/2, 1079/3, 1080/1, 1093/8, 1081/1, 1081/2, 1082/2, 1088/10, 1080/2, 1093/4, 1081/3, 1094, 1095, 1096 एवं 1083, कुल क्षेत्रफल–3.24 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,76,798.06 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सौरभ घोष, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तरदा का दिनांक 03/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2304/खलि–5/उ.यो.अ./2020 कोरबा, दिनांक 05/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/2297/खलि–1/उ.प./न.क्र.01/2021 कोरबा, दिनांक 05/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/2298/खलि–1/उ.प./न.क्र.01/2021 कोरबा, दिनांक 05/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नहर 160 मीटर की दूरी पर स्थित है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** एल.ओ.आई. मेसर्स व्हाईट जगवार एलएलपी के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/2168/खलि–1/उ.अनुज्ञापत्र/न.क्र.01/2021 कोरबा, दिनांक 28/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है। तत्पश्चात् संशोधित एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/2286/खलि–1/उ. अनुज्ञापत्र/न.क्र.01/2021 कोरबा, दिनांक 04/06/2021 द्वारा खसरा क्रमांक 1083, क्षेत्रफल 0.162 हेक्टेयर को शामिल करते हुये जारी की गई।
7. **भू–स्वामित्व –** भूमि खसरा क्रमांक 1078/1, 1093/3, 1093/2, 1079/1, 1079/2, 1079/3 मेसर्स व्हाईट जगवार एलएलपी एवं खसरा क्रमांक 1080/1, 1093/8, 1081/1, 1081/2, 1082/2, 1088/10, 1080/2, 1093/4, 1081/3, 1094, 1095, 1096 तथा 1083 श्री धुरपाल सिंह कंवर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2787 कोरबा, दिनांक 12/04/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तरदा 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–तरदा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल कोरबा 7.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 26.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.4 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 0.205 कि.मी. एवं तालाब 0.3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 19,95,502 टन, माईनेबल रिजर्व 5,62,875 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,51,618 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 10,850 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 10,332 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,74,820
द्वितीय	2,76,798

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.06 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,322 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 610 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव का कार्य किया गया है। पुनःभराव हेतु स्लोप एवं सपोर्टिंग वॉल बनाने के कारण माईनिंग क्षेत्र में 885 वर्गमीटर को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। उपरोक्त का समावेश कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
59.25	2%	1.19	Following activities at Government Higher Secondary School, **Village – Tarda**	
			Rain Water Harvesting System	1.34
			Plantation	0.05
			Total	**1.39**

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/2297/खनि–1/उ.प./न.क्र.01/2021 कोरबा, दिनांक 05/06/2021

के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–तरदा) का रकबा 3.24 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स व्हाईट जगवार एलएलपी, तरदा आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी माईन (प्रो.– श्री रोहित अग्रवाल) की ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा के खसरा क्रमांक 1078/1, 1093/3, 1093/2, 1079/1, 1079/2, 1079/3, 1080/1, 1093/8, 1081/1, 1081/2, 1082/2, 1088/10, 1080/2, 1093/4, 1081/3, 1094, 1095, 1096 एवं 1083 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.24 हेक्टेयर, क्षमता – 2,76,798 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 10,332 घनमीटर को सीमा पट्टी 10,850 वर्गमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी लगभग 5,332 घनमीटर के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स त्रिमूर्ति रि–रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–II, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1698)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी /214366/2021,दिनांक 07/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–II, जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. 57, कुल क्षेत्रफल –0.815 हेक्टेयर में रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 2 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

1. प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष अग्रवाल, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

2. **जल एवं वायु सम्मति** –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रोल्ड सेक्शन, एच.आर सेक्शन, एमएस फ्लैट्स, चैनल्स, एंगल्स, सीटीडी बार्स क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष एवं एमएस पाईप्स क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 11/02/2020 को जारी की गई थी।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 28.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1	Rolling Mill Area	2,600	31.90
2	Storage Area	1,500	18.40
3	Parking Area	790	9.69
4	Greenbelt Area	3,260	40.01
Total		**8,150**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल –**

S.No	Input	TPA	Source	Transport
Rolling Mill				
1.	Billets/ Ingots	59,500	Open Market	By Road (through covered trucks)

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Particular	Existing	After Expansion
1.	Unit	Reheating Rolling Mill	Reheating Rolling Mill
2.	Products	CTD Bar, M.S. Flats, Channel, Angles, H.R. Section – 15,000 TPA and M.S. Pipes – 15,000 TPA	CTD Bar, M.S. Round, Channel, Angles, Rod, M.S. Strips etc.– 59,500 TPA

Note: Existing Coal Gasifier based reheating furnace rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day.

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में रोल्ड सेक्शन, एच.आर सेक्शन, एमएस फ्लैट्स, चैनल्स, एंगल्स, सीटीडी बार्स के उत्पादन हेतु 10 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु 18.5 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न मिल स्केल एवं स्क्रैप को स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। यूस्ड आयल को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल से मिल स्केल – 500 टन प्रतिवर्ष, स्क्रैप – 250 टन प्रतिवर्ष एवं यूस्ड आयल – 140 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल गैसीफायर से उत्पन्न सिण्डर / राख का उपयोग भूमि भराव एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। यही व्यवस्थायें प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 10 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 22 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए अतिरिक्त जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति हेतु आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 5 घनमीटर

प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–
  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 5,393 घनमीटर है। वर्तमान में उद्योग परिसर में 2 नग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट्स निर्मित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2. 5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 2 माह में पूर्ण किया जाए।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 7,890 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 6,966 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 890 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् 3,600 घनमीटर अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का रिचार्ज कर की जाएगी। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी

लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. क्षमता का डी. जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.201 हेक्टेयर (22 प्रतिशत) क्षेत्र में 218 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.326 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में अतिरिक्त 815 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
200	1%	2.0	Following activities at Government Primary School Deori-2	
			Rain Water Harvesting System	1.16
			Potable Drinking Water Facility	0.40
			Running Water Facility	0.35
			Plantation	0.25
			Total	**2.16**

14. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

15. उद्योग औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फेस–2 में स्थापित एवं संचालित है। स्थल के आसपास कई उद्योग स्थापित एवं संचालित है।

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:–

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

17. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

18. समिति का सर्वसम्मति से यह मत है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 3,600 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने परिसर में कुल 5,393 घनमीटर वर्षाजल का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत्, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपार्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स त्रिमूर्ति रि–रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–II, जिला–रायपुर स्थित प्लांट नं. 57, कुल क्षेत्रफल –0.815 हेक्टेयर में रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष करने हेतु **परिशिष्ट–06** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स पथराकुण्डी लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री अवधेश जैन), ग्राम–पथराकुण्डी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 580)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी / एमआईएन/ 63990/2017, दिनांक 15/04/2017 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/63696/2018, दिनांक 05/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पथराकुण्डी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2, कुल क्षेत्रफल–7.044 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–94,500 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 18/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 843ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 35122/ 2019, दिनांक 23/04/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/43418/2021, दिनांक 20/05/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित खसरा क्रमांक 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1 एवं 26/3, कुल क्षेत्रफल– 2.698 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (15 टन गुणा 3 नग) (स्टील इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता–1,48,500 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (टी.एम.टी. बार्स, वॉयर रॉड्स, एंगल्स, चैनल्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, पत्रा) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,46,250 टन प्रतिवर्ष (एल.डी.

ओ./प्रोड्युसर गैस) तथा कोल गैसीफायर क्षमता–7,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 25 करोड़ प्रस्तावित है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/07/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 12/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 16/06/2021 से दिनांक 19/06/2021 के मध्य आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक दिनांक 18/06/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल दिनांक 16/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौरव अग्रवाल, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से टी.एम.टी. बार क्षमता – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 19/03/2019 को जारी की गई है।
- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–पाली 0.7 कि.मी., अस्पताल रायगढ़ 7.6 कि.मी., रेलवे स्टेशन किरोदीमल नगर 7.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.2 कि.मी. दूर है। केलो नदी 2.3 कि.मी. की दूरी पर है।

- तराईमल आरक्षित वन 2.4 कि.मी., रेबो आरक्षित वन 5.6 कि.मी., उर्दना आरक्षित वन 1.2 कि.मी., पाझर संरक्षित वन 8.8 कि.मी., खरिडंगरी संरक्षित वन 3.6 कि. मी., केराडंगरी संरक्षित वन 5.4 कि.मी., डूंगापानी संरक्षित वन 4.0 कि.मी., लाखा संरक्षित वन 1.6 कि.मी., बारकछार आरक्षित वन 3.0 कि.मी. एवं पूंजीपथरा संरक्षित वन 6.4 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 2.698 हेक्टेयर है, जिसमें से इण्डक्शन फर्नेस का क्षेत्रफल – 0.35 हेक्टेयर, रोलिंग मिल का क्षेत्रफल – 0.9 हेक्टेयर, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल – 0.2 हेक्टेयर, पार्किंग का क्षेत्रफल – 0.1 हेक्टेयर, अन्य उपयोग हेतु 0.068 हेक्टेयर एवं हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 1.08 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) होगा।

4. **रॉ–मटेरियल –**

Raw Material		Quantity TPA	Sources	Mode of Transport
For Induction Furnace (Steel Ingots / Billets / Hot Billets) – 1,48,500 TPA				
Sponge Iron		1,24,000	Chhattisgarh & Orisha	By Road (through covered trucks)
Scrap		53,000	Chhattisgarh & Orisha	
Ferro Alloys		2,200	Chhattisgarh & Orissa	
For Rolling mill – (TMT / Wire Rod / Angle / Channel / Steel Structures / Patra) 1,16,250 TPA				
With 100% Reheating				
Hot Billets / MS Ingots/ MS Billets		1,24,300	Own Generation	-
LDO		5,000 KL/Year	Nearby HPCL / IOCL depots	Tankers
Coal (for Gasifier 7000 NM^3 / Hr)	Indian Coal	23,200	SECL, Chhattisgarh / MCL Odisha	By rail & road (through covered trucks)
	Imported Coal	14,900	Indonesia / South Africa / Australia	Through sea route & rail
With 80% Hot Charging & 20% Reheating				
Hot Billets / MS Ingots/ MS Billets		1,24,300	Own Generation	-
LDO		1,000	Nearby HPCL /	Tankers

		KL/Year	IOCL depots	
Coal (for Gasifier 7000 NM^3 / Hr)	Indian Coal	4,640	SECL, Chhattisgarh / MCL Odisha	By rail & road (through covered trucks)
	Imported Coal	2,980	Indonesia / South Africa / Australia	Through sea route & rail

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Unit	Existing Capacity (TPA)	Proposed Additional Facilities	After Expansion Capacity (TPA)
1.	Induction Furnace (Steel Ingots / Billets / Hot billets)	-	1,48,500 (3x15 T)	1,48,500
2.	Rolling Mill (TMT Bars / Wire Rods / Angles / Channels / Steel Structures / Patra)	30,000	1,16,250 [Producer Gas / LDO as fuel]	1,46,250
3.	Coal Gasifier	---	7000 NM^3/Hr	7000 NM^3/Hr

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु वर्तमान में स्थापित मैन्युअल रोलिंग मिल से रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 2 नग न्यू स्टैण्ड्स स्थापित करते हुये सेमी–ऑटोमेटिक रोलिंग मिल से रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेस (2 गुणा 15 टन) में फ्यूम्स एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर में 30 मीटर ऊंची चिमनी, इण्डक्शन फर्नेस (1 गुणा 15 टन) में फ्यूम्स एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर में 30 मीटर ऊंची चिमनी एवं रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर में 50 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त इकाईयों से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

S. No.	Waste	Existing Quantity (In TPA)	Expansion Quantity (In TPD)	Method of Disposal
From Induction Furnace				
1.	Slag	-	45	Slag from SMS will be Crushed and Iron will be recovered and remaining non magnetic

				material being inert by nature will be given to road contractor (used as sub base material in road construction)/ will be given to brick manufacturer.
From Rolling Mill				
1.	Mill Scales	1.2	4.6	Mill Scales will be given to nearby ferro alloys manufacturing units or casting units.
2.	End Cuting	3.8	14.7	Recycled back as raw material in own induction furnace.
From Gasifier				
1.	Tar	-	0.1	Will be given to authorized recyclers/ Agencies Engaged in construction.
2.	Cinder	-	1.4	Will be given to brick manufacturing units.
3.	STP Sludge	-	28	Will be used as manure for plantation.

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं रोलिंग मिल हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत परियोजना हेतु कुल 95 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन, इण्डक्शन फर्नेस हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन, गैसीफायर हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं रोलिंग मिल हेतु 63 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु जल की आपूर्ति के लिए सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। जो दिनांक 08/11/2023 तक वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित किया जाएगा। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल की 5.6 घनमीटर प्रतिदिन घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 12,054 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 09 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 2.5 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 2 माह में पूर्ण किया जाए।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में सम्मति प्राप्त रोलिंग मिल हेतु 1 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 20 मेगावॉट (इण्डक्शन फर्नेस हेतु 15 मेगावॉट, रोलिंग मिल हेतु 4 मेगावॉट एवं गैसीफायर 1 मेगावॉट) विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति स्टेट ग्रीड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट का उपयोग किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1.08 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर कम से कम 7 मीटर से 26 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 600 नग पौधे रोपित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् परिसर में 1,650 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 26.9 से 47.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.3 से 88.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.4 से 26.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 12.2 से 39.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

    iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 44.2 डीबीए से 62.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 36.7 डीबीए से 50.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

    v. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत की गई है। योजना के अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण

व्यवस्था एवं जन जागरूकता कार्यक्रम हेतु रूपये 30 लाख (5 वर्ष में) वन विभाग के माध्यम से व्यय किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग द्वारा उक्त राशि वन विभाग में एकमुश्त जमा करना प्रस्तावित है।

vi. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार क्षमता विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

13. लोक सुनवाई दिनांक 07/04/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान बंजारी मंदिर प्रांगण, ग्राम–तराईमल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 17/05/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. प्रदूषण के कारण लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे है। तालाब, डेम, नदियां सभी प्रदूषित हो रहे है। सड़कों पर सुरक्षित चलना मुश्किल हो गया है।

ii. परियोजना से 2 कि.मी. में गोदगोदा पड़कीपहरी सी.एफ.आर. का वन क्षेत्र है। पेश कानून, महिला हिंसा, फारेस्ट कानून 1976 वनपशु की धारा उद्योग पर लागू होगा। हाथियों के द्वारा नुकसान हेतु 40 लाख का कोरिडोर बनाया गया है। अतः जनसुनवाई को निरस्त किया जाए।

iii. परियोजना के समीप में केलो नदी है, जिसमें फ्लाई ऐश को डाला जा रहा है। जिससे स्तनधारी जीवों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

iv. कोविड–19 महामारी में जन सुनवाई कराई जा रही है जो कि उपयुक्त नहीं है। अतः जनसुनवाई को निरस्त किया जाना चाहिए।

v. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जाना तथा सतत् जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है एवं उक्त इकाईयों से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। उद्योग परिसर के 40 प्रतिशत क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। उद्योग परिसर के समस्त वर्षाजल के रनऑफ का भूमि में रिचार्ज किया जाएगा।

ii. हाथी प्रभावित क्षेत्र हेतु कंजरवेशन प्लान का अनुमोदन पी.सी.सी.एफ. वन विभाग द्वारा किया गया है तथा विभाग की अनुशंसा स्वरुप 30 लाख रुपये का प्रावधान वन्यप्राणी के संरक्षण हेतु किया गया है।

iii. प्रदूषण के रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुझाये गये सभी उपायों जाएगा।

iv. भारत सरकार द्वारा कोविड–19 में लोक सुनवाई हेतु दिशा निर्देशानुसार कराई जा रही है। शासन द्वारा दिशा निर्देश के अनुपालन में एक स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक प्रवेश सीमित था तथा उपस्थिति 100 व्यक्तियों से अधिक होने की दशा में समुचित दूरी पर दो पृथक–पृथक पण्डाल लगाये गये थे, जिससे सभी को अपना अभिमत रखने का अवसर मिल सके।

v. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
2500	1%	25.0	Following activities at nearby Government 4 Schools and 8 Aganbadi as per proposal	
			Rain Water Harvesting System	22.62
			Running water facility for Toilets	1.60
			Plantation with fencing	2.86
			Total	**27.08**

प्रस्तावित कार्य शासकीय प्राथमिक / उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–गेरवानी, उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–तराईमल, प्राथमिक शाला ग्राम–देलारी, प्राथमिक शाला ग्राम–पाली एवं आंगनबाड़ी केन्द्र–1 एवं केन्द्र–2 ग्राम–देलारी, आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम–शिवपुरी, आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम–तराईमल, आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम–पाली, आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम–पूंजीपथरा, आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम–लाखा, आंगनबाड़ी केन्द्र आवासपारा (लाखा) में किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, खसरा क्रमांक 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1 एवं 26/3, कुल क्षेत्रफल– 2.698 हेक्टेयर, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ को इण्डक्शन फर्नेस (15 टन गुणा 3 नग) (स्टील इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता–1,48,500 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (टी.एम. टी. वॉयर रॉड, एंगल, चैनल, स्टील स्ट्रक्चर्स, पत्रा) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,46,250 टन प्रतिवर्ष (फर्नेस ऑयल/प्रोड्युसर गैस) तथा कोल गैसीफायर

क्षमता–7,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु **परिशिष्ट–07** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF M/S SHREE RAM IRON AND STEEL PVT LTD (UNIT II) FOR EXPANSION OF INDUCTION FURNACE WITH CCM WITH HOT CHARGING ROLLING MILL OF CAPACITY 30,000 TPA (3X10 TPH) TO 59,500 TPA (3X10 TPH)

I. Statutory Compliance:

i. Capacity expansion shall be achieved by increasing working hours from 12 Hrs per day to 18 Hrs per day, increasing number of drives, heat increased from 4 Heats/Day to 6 Heats/Day and some modification in CCM / hot charge Rolling Mill. Project proponent has not proposed any change in the existing Induction Furnace and Galvanizing Unit and Steel Pipe, Tube, Beam Round manufacturing unit and its related activites.

ii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

iii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace with ccm with hot charge rolling mill with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm^3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are

rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	25 mg/Nm^3 (Twenty five Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent. Rain water harvesting within the premises shall be complete within 2 months.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.
ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Re-rolled products shall be based on hot charging only. Practice hot charging of slabs and billets/blooms as maximum as possible. No additional induction furnace(s) and reheating shall be installed.
ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Slag shall be sold to Slag Crushing units. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. ETP sludge sent to cement industry.
ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40 % (0.372 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that remaining 3721 Nos plantation will be done within 1 month.
ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health Issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iii. Provision shall be made for the housing of construction labourwithin the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1000	1%	10.0	Following activities at 5 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	5.60
			Potable Drinking Water Facility with AMC	1.85
			Running Water Facility	1.75
			Plantation	1.25
			Total	**10.45**

Proposed CER work on Government Primary Schools, Village- Sondongari, Khamtarai, Bela tarai, Daldal Seoni and Government Middle School, Village- Kapasada.

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. No additional land shall be acquired for this project.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xviii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF M/S P.D. INDUSTRIES PVT LTD FOR FORWARD INTEGRATION OF INDUCTION FURNACE AND NEW ROLLING MILL THROUGH HOT CHARGING PROCESS OF CAPACITY 48,000 TPA

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace with ccm with hot charge rolling mill with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm^3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	25 mg/Nm^3 (Twenty five Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent. Rain water harvesting within the premises shall be complete within 2 months.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Re-rolled products shall be based on hot charging only. Practice hot charging of slabs and billets/blooms as maximum as possible. No additional induction furnace(s) and reheating shall be installed.
ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Mill scale shall be sold to Ferro Alloys Manufacturing units, Pellet plants or Casting units. End cutting shall be used in own induction furnace. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. ETP sludge sent to cement industry.
ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40 % (0.372 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that remaining 3721 Nos plantation will be done within 1 month.
ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iii. Provision shall be made for the housing of construction labourwithin the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1000	1%	10.0	Following activities at 5 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	5.60
			Potable Drinking Water Facility with AMC	1.85
			Running Water Facility	1.75
			Plantation	1.25
			Total	**10.45**

Proposed CER work on Government Primary Schools, Village- Sondongari, Khamtarai, Bela tarai, Daldal Seoni and Government Middle School, Village- Kapasada.

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. No additional land shall be acquired for this project.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xviii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

AMENDMENT IN ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR M/S VIMLA INFRSTRUCTURE PRIVATE LIMITED, AT KHASRA NO. 38/1, 38/6, 38/7, 28, 38/3, & 38/4 VILLAGE - BHUPDEVPUR, TEHSIL - KHARSIA, DISTRICT – RAIGARH (C.G.) FOR DRY TYPE COAL WASHERY TO WET TYPE COAL WASHERY 0.90 MILLION TONNE PER YEAR

I. Statutorycompliance

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board.

ii. As per the proposal submitted by the project proponent, only rain water collected in proposed reservoirs within and outside the plant premises shall be utilized for industrial activities. As per Central Ground Water Authority notification, the proposed site falls under safe zone, therefore, no ground water shall be withdrawn/used for industrial activities without prior permission from the Central Ground Water Authority. Project proponent shall obtain permission from the Central Ground Water Authority for drawl of ground water.

iii. Solid waste / hazardous waste generated in the washery needs to addressed in accordance to the Solid Waste Management Rules, 2016, Hazardous & Other Waste Management Rules, 2016.

II. Air quality monitoring and preservation

i. Adequate ambient air quality monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely particulates (PM_{10} & $PM_{2.5}$), SO_2 and NO_x. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features, and environmentally and ecologically sensitive receptors in consultation with the CECB. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc. carried out at least once in six months.

ii. Continuous ambient air quality monitoring stations as prescribed in the statue be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2 and NO_x. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets in consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Online ambient air quality monitoring stations may also be installed in addition to the regular monitoring stations as per the requirement and/or consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc to be carried out at least once in six months.

iii. Project proponent shall ensure transportation of raw coal, washed coal and reject through railway as far as possible. Transportation of coal by road shall be carried out by covered trucks. The transportation of clean coal and rejects shall be carried out by rail with wagon loading through silo as far as possible. Industry shall ensure transportation of clean coal by rail only. Effective measures such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulates such as roads, belt conveyors, loading / unloading and transfer points. Fugitive dust emissions from all sources shall be controlled at source. It shall be ensured that the ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board/ Chhattisgarh Environment Conservation Board. The particulate emission from any point source shall not exceed 25 mg / Nm^3 under any circumstances.

iv. All approach roads shall be black topped and internal roads shall be concreted. The roads shall be regularly cleaned. Coal transportation shall be carried out by covered trucks. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras

(CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are properly covered.

v. Covered trucks shall be engaged for mineral transportation outside the washery upto the railway siding, shall be optimally loaded to avoid spillage en-route. Trucks shall be adequately maintained and emissions shall be below notified limits.

vi. Project proponent shall construct boundary wall of height not less than 03 meters all along the periphery of plant premises. Wind breaking screen of height not less than 03 meters along with rain gun shall be constructed over the boundary wall to prevent the fugitive dust emission in the nearby areas.

vii. Facilities for parking of trucks carrying raw material from linked mine shall be created within the unit.

viii. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles having 'PUC' certificate from authorized pollution testing centres shall be deployed for washery operations.

ix. Hoppers of the coal crushing unit and other washery units shall be fitted with high efficiency bag filters / mist spray water sprinkling system shall be installed and operated effectively at all times of operation to check fugitive emissions from crushing operations, transfer points of closed belt conveyor systems and from transportation roads.

x. The Raw coal / washed coal / rejects / coal sludge shall be stored above ground level in pucca platform within stockyards fitted with wind breakers / shields. Adequate measures shall be taken to ensure that the stored mineral does not catch fire.

xi. The temporary reject sites should appropriate planned and designed to avoid air and water pollution from such sites.

III. Water quality monitoring

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. The effluent discharge shall be monitored in terms of the parameters notified under the Water Act, 1974 Coal Industry Standards vide GSR 742 (E) dated 25.9.2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The monitoring data shall be uploaded on the company's website and displayed at the project site at a suitable location. The circular No. J-20012/1/2006-IA.11 (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall also be referred in this regard for compliance.

iii. Industrial waste water shall be properly collected and treated so as to conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules made there under, and as amended from time to time.

iv. The project proponent shall not alter major water channels around the site. Appropriate embankment shall be provided along the side of the river/nallah flowing near or adjacent to the washery. The embankment constructed along the river/nallah boundary shall be of suitable dimensions and critical patches shall be strengthened by stone pitching on the river front side stabilised with plantation so as to withstand the peak water pressure preventing any chance of inundation.

v. Heavy metal content in raw coal and washed coal shall be analyzed once in a year and records maintained thereof.

vi. The rejects should be utilized in FBC power plant or disposed off through sale for its gainful utilization.

vii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

viii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

ix. An Integrated Surface Water Management Plan for the washery area up to its buffer zone considering the presence of any river/rivulet/pond/lake etc. with impact of coal washing activities on it, shall be prepared, submitted to MoEF&CC and implemented.

x. Waste Water shall be effectively treated and recycled completely either for washery operations or maintenance of green belt around the plant.

xi. Rainwater harvesting in the washery premises shall be implemented for conservation and augmentation of ground water resources in consultation with Central Ground Water Board.

xii. No ground water shall be used for coal washing unless otherwise permitted in writing by competent authority (CGWA) or MoEFCC. The make-up water requirement of washery should not exceed 190 KLD.

xiii. Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out in and around the mine lease area by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operations. The monitoring of ground water levels shall be carried out four times a year i.e. pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and winter. The ground water quality shall be monitored once a year, and the data thus collected shall be sent regularly to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur.

xiv. Monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies shall be carried out once in six months and record of monitoring data shall be maintained and submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Regional Office.

xv. The project proponent shall take all precautionary measures to ensure riverine/ riparian ecosystem in and around the coal mine up to a distance of 5 km. A riverine/riparian ecosystem conservation and management plan should be prepared and implemented in consultation with the irrigation / Water Resource Department, Chhattisgarh.

IV. Green Belt

i. Minimum 2.27 Ha (40.1% of total land area) should be covered under green belt area. Three tier greenbelt comprising of a mix of native species, of minimum 15 m width shall be developed all along the washery area to check fugitive dust emissions and to render aesthetic to neighbouring stakeholders. A 3-tier green belt comprising of a mix of native species or tree species with thick leaves shall be developed along vacant areas, storage yards, loading/transfer points and also along internal roads/main approach roads and all along the boundary Project proponent shall ensure that remaining 1,433 Nos plantation will be done within 1 month.

ii. The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grazing land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.

V. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
500	1%	5.0	Following activities at 3 Nearby Government Schools	

			Rain Water Harvesting System	3.40
			Potable Drinking Water Facility	0.70
			Running Water Facility	0.75
			Plantation	0.50
			Total	**5.40**

i. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

VI. Miscellaneous

i. Amendment in Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

ii. Wildlife Management plan approved by PCCF (wildlife) and chief wildlife warden shall be implemented.

iii. Project proponent shall ensure no any hindrance to any villagers / farmers to access their field due to establishment / operation of coal washery

iv. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

v. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas

vi. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

vii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

viii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

ix. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

x. Project proponent shall constitute a monitoring committee comprising of representatives of all stake holders i.e. Gram Panchayat, villagers, school teachers / management, workers, transporters and factory management etc. This committee shall monitor the conditions stipulated in the environmental clearance, environmental protection measures adopted, socio-economic development activities / community development programmes undertaken etc. The committee shall monitor the above matters at-least once in a month; during which, factual situation regarding above matters will be discussed. The procedings of the committee shall be recorded in writing along with suggestions (if any). Project management shall take immediate action on the basis of observations / suggestions of the committee. A copy of the procedings of the committee shall be submitted to Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raigarh for information.

xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office of Ministry of Environment. Forest and Climate Change, Raipur, as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment. Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xix. The Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution)

Act. 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act. 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF M/S MAA MANI IRON AND STEEL INDUSTRIES FOR EXPANSION OF INDUCTION FURNACES (3x10 TPH) FROM 28,800 TPA TO 59,900 TPA AND ESTABLISHMENT OF NEW ROLLING MILL CAPACITY- 59,000 TPA (HOT CHARGED BASED)

I. Statutory Compliance:

i. No new additional induction furnace will be installed. Induction furnace capacity expansion shall be achieved by increasing working hours from 12 Hrs per day to 18 Hrs per day, increasing number of drives, heat increased from 4 Heats/Day to 6 Heats/Day and new hot charge Rolling Mill is proposed.

ii. This environment clearence is being granted to the industry without prejudice to the proceeding pending (if any) in the Hon'ble Court. This environment clearence in no way to be taken as measure of proof that industry has not violated any laws at any time in past. Hence, what-ever decision taken by Hon'ble Court shall be binding on the industry

iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

iv. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

v. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm^3 all the time. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in re-rolling mill with minimum 50 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm^3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust

does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	25 mg/Nm^3 (Twenty Five Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 50 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of

Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent. Rain water harvesting within the premises shall be complete within 2 months.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Practice hot charging of slabs and billets/blooms as maximum as possible.

ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall install STP of capacity 4 KLD based on MBBR technology.

ii. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be sold to slag crushing units. Mill scale shall be sold to ferro alloys manufacturing units or casting units. End cutting shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Tar shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Cinders shall be given to bricks manufacturing units. STP sludge shall be used as manure for plantation purpose.

iii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iv. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

v. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

vi. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.01% (0.809 hectare) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that remaining 1,433 Nos plantation will be done within 1 month.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public hearing and Human health issues

i. Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks / measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable.

ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labourwithin the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility:-

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (In Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="6">100</td><td rowspan="6">1%</td><td rowspan="6">10.00</td><td colspan="2">Following activities at 5 Nearby Government Schools</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting System</td><td>5.60</td></tr>
<tr><td>Potable Drinking Water Facility</td><td>1.75</td></tr>
<tr><td>Running Water Facility</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>Plantation</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>10.10</td></tr>
</table>

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and

Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. Wildlife Management plan approved by PCCF (wildlife) and chief wildlife warden shall be implemented.

ii. No additional land shall be acquired for this project.

iii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iv. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

v. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

vi. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

viii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

x. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of

Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स व्हाईट जगवार एलएलपी, तरदा आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी माईन (प्रो.– श्री रोहित अग्रवाल) को खसरा क्रमांक 1078/1, 1093/3, 1093/2, 1079/1, 1079/2, 1079/3, 1080/1, 1093/8, 1081/1, 1081/2, 1082/2, 1088/10, 1080/2, 1093/4, 1081/3, 1094, 1095, 1096 एवं 1083, कुल लीज क्षेत्र 3.24 हेक्टेयर, ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 2,76,798 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 3.24 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2,76,798 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ

उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 10,332 घनमीटर को सीमा पट्टी 10,850 वर्गमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी लगभग 5,332 घनमीटर के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
59.25	2%	1.19	Following activities at Government Higher Secondary School, **Village – Tarda**	
			Rain Water Harvesting System	1.34
			Plantation	0.05
			Total	**1.39**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 2,322 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 700 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

22. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

23. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

26. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

28. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं

आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF M/S TRIMURTI RE-ROLLERS PVT LTD FOR EXPANSION OF REHEATING BASED ROLLING MILL OF CAPACITY- 30,000 TONNES / YEAR TO 59,500 TONNES / YEAR

I. Statutory Compliance:

i. Existing Coal Gasifier based reheating furnace rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day.

ii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

iii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in rolling mill with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm^3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	25 mg/Nm^3 (Twenty five Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent. Rain water harvesting within the premises shall be complete within 2 months.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.
ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). No additional reheating furnace(s) shall be installed.
ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall install STP of capacity 5 KLD based on MBBR technology.
ii. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Mill scale & Mill cutting shall be sold to steel industry units. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Cinder /fly ash shall be used in road making and land filling.
iii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
iv. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
v. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
vi. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.01% (0.326 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that additional 815 Nos plantation will be done within 1 month.
ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health Issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iii. Provision shall be made for the housing of construction labourwithin the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may

be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
200	1%	2.0	Following activities at Government Primary School Deori-2	
			Rain Water Harvesting System	1.16
			Potable Drinking Water Facility	0.40
			Running Water Facility	0.35
			Plantation	0.25
			Total	**2.16**

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. No additional land shall be acquired for this project.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by

prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xviii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF M/S AGROHA IRON AND STEEL INDUSTRIES FOR ESTABLISHMENT OF NEW INDUCTION FURNACES (MS BILLETS / STEEL INGOTS) - 1,48,500 TPA (3 X 15T INDUCTION FURNACES) AND EXPANSION OF EXISTING ROLLING MILL FROM 30,000 TPA TO 1,46,250 TPA (LDO/PRODUCER GAS) AND COAL GASIFIER OF CAPACITY – 7,000 NORMAL CUBIC METER PER HOUR

I. Statutory Compliance:

i. This environment clearence is being granted to the industry without prejudice to the proceeding pending (if any) in the Hon'ble Court. This environment clearence in no way to be taken as measure of proof that industry has not violated any laws at any time in past. Hence, what-ever decision taken by Hon'ble Court shall be binding on the industry

ii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

iii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm^3 all the time. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in rolling mill with minimum 50 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm^3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event

of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	25 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) for induction furnace shall not be less than 30 meters and for rolling mill shall not be less than 50 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent. Rain water harvesting within the premises shall be complete within 2 months.

v. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.
ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Practice hot charging of slabs and billets/blooms as maximum as possible.
ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be sold to slag crushing units. Mill scale shall be sold to ferro alloys manufacturing units or casting units. End cutting shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Tar shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Cinders shall be given to bricks manufacturing units. STP sludge shall be used as manure for plantation purpose.
ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40% (1.08 hectare) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that remaining 1,650 Nos plantation will be done within 1 month.
ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public hearing and Human health issues

i. Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks / measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable.
ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iv. Provision shall be made for the housing of construction labourwithin the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may

be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility:-

AdditionalCapital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
2500	1%	25.0	Following activities at nearby Government 4 Schools and 8 Aganbadi	
			Rain Water Harvesting System	22.62
			Running water facility for Toilets	1.60
			Plantation with fencing	2.86
			Total	**27.08**

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. Wildlife Management plan approved by PCCF (wildlife) and chief wildlife warden shall be implemented.

ii. No additional land shall be acquired for this project.

iii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iv. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

v. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

vi. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

viii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

x. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**